राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कसौली (महिला), जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

(क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों के सटिप्पण उत्तरों की समीक्षा के उपरान्त कुछ पैरों का निपटारा किया गया। संस्था में बकाया पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

अंकेक्षण अवधि 4.2008 से 3.2012

पैरा संख्या	टिप्पणी
4	अनिर्णित
6	निर्णित (संतोषजनक कार्रवाई के उपरान्त)
7	निर्णित (संतोषजनक कार्रवाई के उपरान्त)
8	अनिर्णित
9	अनिर्णित

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधानाचार्य, संस्थान के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप संस्थान में कार्यरत रहेः–

नाम	कार्यकाल
इंजीनियर श्री शिवेंद्र डोगर	1.4.2012 से 26.6.14
श्री महावीर सिंह चौहान	27.6.2014 से 9.2.2015
इंजीनियर श्री शिवेंद्र डोगर	9.2.2015 से 31.3.2015

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कसौली (महिला), जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की अवधि 4/2012 से 3/2015 की छात्र निधियों का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 7/2012, 7/2013 तथा 7/2014 एवं व्यय की विस्तृत जांच हेतु 2/2013, 4/2013 तथा 8/2014 के लेखाओं का चयन किया गया।

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान लेखाओं का परीक्षण संस्थान द्वारा प्रेषित अभिलेखों, रिकार्ड एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया। संस्थान द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार की अधूरी/अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 का कोई दायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कसौली (महिला), जिला सोलन के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7000 आंका गया है। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 59 दिनांक 20.7.2015 द्वारा प्रधानाचार्य महोदय से अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा जोगिंद्रा सैंट्रल कोप्रेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन के ड्राफ्ट संख्या 080949 दिनांक 23.7.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कसौली (महिला) द्वारा प्रस्तुत संस्थान के अवधि 4/2012 से 3/2015 के लेखों की वित्तीय का सम्पूर्ण विवरण यथा **परिशिष्ट "क"** पर भी संलग्न है।

(ख) बैंक समाधान विवरणीः– संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई दिनांक 31.3.2015 तक की बैंक समाधान विवरणी यथा **परिशिष्ट "ख"** संलग्न है।

(ग) निवेशः– संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक किए गए निवेशों का विवरण यथा **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है। संस्थान द्वारा सावधि जमा रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 4 के अनुसार दिनांक 3.11.2012 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए ₹3,00,088 सावधि जमा (संख्या 164648) में निवेश की गई थी। संस्थान द्वारा यह सावधि निवेश दिनांक 26.2.2013 को परिपक्व होने की तिथि से पूर्व ही भुना लिया था। यदि सावधि जमा निवेश को एक वर्ष पश्चात भुनाया जाता तो सावधि निवेश पर ₹27,933 का ब्याज प्राप्त हो सकता था, परन्तु बैंक द्वारा निवेशित अवधि दिनांक 3.11.2012 से 26.2.2013, 116 दिन के लिए केवल ₹6125 का ब्याज दिया था, जबकि इस अवधि के लिए बैंक द्वारा लगभग ₹8,877 [27,933 (1 वर्ष का ब्याज) x 116 दिन/365 दिन] ब्याज देय बनता था। इस प्रकार इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक द्वारा (8877–6125= ₹2752) का ब्याज कम दिया था। अतः यह मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर वस्तुस्थिति के बारे में आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) उचित प्रबन्ध न करने के कारण ₹11,496 के अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होनाः– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा बचत खातों में आध्याधिक राशि रखी गई थी। यदि इस राशि का एक समुचित भाग समय–समय पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इससे संस्थान को अतिरिक्त ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सकती थी। यदि वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को भी जरूरत के अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो संस्थान द्वारा निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त ब्याज की

₹11496 की आय प्राप्त की जा सकती थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की पैरा संख्या 8 के अन्तर्गत भी उचित वित्तीय प्रबन्धन करने हेतु सुझाव दिया गया था, परन्तु संस्थान इस बारे अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। अतः पुन सुझाव दिया जता है कि संस्थान द्वारा इस सन्दर्भ में आन्तिरिक जांच करके बचत खातों में जमा राशि को उचित भागों में बांटकर समुचित भाग सावधि जमा में निवेश किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पर पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सके।

क्र0 सं0	वर्ष	31 मार्च की अन्तिम शेष	वित्त वर्ष के दौरान सावधि जमा राशि	स्तम्भ (3) में दर्शाई गई राशियों का 75 प्रतिशत भाग जोकि सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था	सावधि में कम निवेश की गई राशि	5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि (लगभग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5–4)	
1	2012-13	419165	300086	314374	14288	714
2	2013-14	501754	327916	37632	48392	2420
3	2014-15	653355	322774	490016	167242	8362
					कुल योग	**11,496**

(ङ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को बचत खाता संख्या 9695 में T&P Fund का शेष ₹94186 था तथा वित्तीय स्थिति से सन्बन्धित पैरा संख्या 4 में दिए गए सुझावानुसार छात्र कल्याण निधि एवं T&P Fund के लिए एक ही रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 5.3.2015 को T&P Fund की रोकड़ वही में ₹86,450 शेष थी, जिसमें से संस्थान द्वारा अंकेक्षण के सुझाव को मानते हुए T&P Fund से सम्बन्धित कुछ राशि आपत्ति ₹38,251 दिनांक 5.3.2015 को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में हस्तांतरित कर दी गई। परन्तु अभिलेखानुसार दिनांक 5.3.2013 को T&P Fund के शेष से सम्बन्धित सम्पूर्ण ₹86,450 ही छात्र कल्याण निधि में हस्तांतरित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार संस्थान द्वारा ₹86,450–₹38,251=₹48199 कम हस्तांतरित की गई। इस बारे में चर्चा पर संस्थान द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि T&P Fund से सम्बन्धित रोकड़ वही में Trainees की Tool Kit एवं Library Books से सम्बन्धित प्राप्त राशियों की प्रविष्टियां भी की गई थी। संस्थान के अनुसार ₹48,199 Trainees की Tool Kit एवं Library Books से सम्बन्धित थी तथा इसी कारण इस राशि को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में हस्तांतरित नहीं किया गया था। तदानुसार अंकेक्षण द्वारा T&P Fund से सम्बन्धित रोकड़ वहीं में

Trainees की Tool Kit एवं Library Books बुक्स से सम्बन्धित राशियों की भी गई प्रविष्टियों का विवरण मांगा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिनांक 5.3.2015 को संस्थान द्वारा हस्तांतरित की गई T&P Fund से सम्बन्धित ₹38,351 सही है, परन्तु संस्थान द्वारा यह विवरण उपलब्ध न करवाए जाने के कारण हस्तांतरित राशि के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्र कल्याण निधि में दिनांक 5.3.2013 को T&P Fund से सम्बन्धित हस्तांतरित की गई ₹38,351 के सही होने की पुष्टि की जा सके।

5 रोकड़ वही के रख–रखाव बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 1/2015 तथा 2/2015 में रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 113 में ओवर–राइटिंग तथा कटिंगज की गई थी तथा इन कटिंगज/ओवर राईटिंगस को सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था। अतः सम्बन्धित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा रोकड़ वही में वाउचर संख्या अंकित नहीं की जा रही थी। अतः रोकड़ वही में वाउचर संख्या का अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बैंक खातों के रख–रखाव के बारे में

संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक जोगिंद्रा सैन्ट्रल–कोपरेटिव बैंक, सोलन (हि0प्र0) में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 4 खाते खुलवा रखे थे। इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि संस्थान की निधियों की राशियों का निवेश करते समय हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या फिन–आई0एफ0(ए0)1–68/91–V, फाइनेंस डिपार्टमेंट (आई0एफ0) दिनांक, शिमला–171002, 17.4.2014 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 रसीद बुक्स के रख–रखाव के बारे

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से आग्रह करने पर भी रसीद बुकस से सम्बन्धित स्टोक रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुक्स के क्रय किये जाने छपवाए जाने बारे/ जारी किये जाने/इस्तेमाल किये जाने बारे तथा इनके आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की पड़ताल नहीं की जा सकीं।

इस सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा रसीद बुक्स के स्टोक रजिस्टर का रख–रखाव किया नहीं गया है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित कि जाए।

8 संस्थान द्वारा ₹1500 की कम वसूली किये जाने बारे

आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नानुसार ₹1500 के फंडस की कम वसूली की थी।

निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार माह 7/2013 में जितनी छात्राओं से अर्धवार्षिक शुल्क प्राप्त किये गये थे। (1)	निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार माह 2/2014 में जितनी छात्राओं से अर्धवार्षिक शुल्क प्राप्त किये गये थे। (2)	जितनी छात्राओं से कम शुल्क प्राप्त किये गये थे। (1–2)	जितने फडस कम प्राप्त किया गया था।
42 (दिनांक 26.7.2013, निधि संग्रह रजिस्टर पृष्ठ संख्या 32)	41 (दिनांक 11.2.2014, निधि संग्रह रजिस्टर पृष्ठ संख्या 33 से 34)	1 (42–41)	₹1500/– (100 (एडमिशन फी)+125 (एस0डब्ल्यु0एफ)+ 500 (डिवेलपमेंट एवं बिल्डिंग फण्ड) + 100 (मेडिकल फण्ड) + 100 (इन्टरनल एक्साम फण्ड) + 25 (लाइब्रेरी फण्ड) + 50 (ट्रेनिंग प्लेसमेंट फण्ड) + 500 (कम्प्यूटर फण्ड)

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹1500 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके व संस्थान के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क इत्यादि से सम्बन्धित प्राप्त राशियों को विलम्ब से जमा करवाना

संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क इत्यादि से सम्बन्धित राशियों की सरकारी कोष में विलम्ब से जमा करवाई जा रही थी, जैसा कि निम्न कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन समस्त प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त भविष्य में भी शुल्कों से प्राप्त राशियों का सरकारी कोष में नियमानुसार समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि के दौरान प्राप्त शुल्क	रोकड वही (सरकारी संख्या)	चलान पृष्ठ संख्या	जिस अवधि से सम्बन्धित प्रवेश शुल्क एवं शैक्षणिक फी जमा की गई	जिस तिथि को जमा करवाई गई
4200/- (3800+400)	97	42	6.7.2013 से 11.7.2013	13.7.2012
8200/-(6200+400 +800+200+200+400)	137 से 141	1	5.7.2014 से 22.9.2014	22.9.2014

10 चालानों का सरकारी कोष के साथ मिलान न करना

संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क इत्यादि से सम्बन्धित प्राप्त राशियों को विभिन्न चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा तो करवाया गया है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा समय–समय पर जमा करवाई गई इन राशियों का सम्बन्धित कोष कार्यालय में विवरणी प्राप्त

करके मिलान नहीं किया गया जा रहा है। इस कारण चयनित मासों में प्राप्त निम्नलिखित शुल्क की राशियां जोकि चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई गई थी, का मिलान सरकारी कोष से प्राप्त की गई विवरणी से नहीं किया जा सका, क्योंकि सम्बन्धित कोष कार्यालय द्वारा जारी विवरणी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ सम्बन्धित विवरणी सम्बन्धित कोष कार्यालय से प्राप्त करके निम्नलिखित शुल्कों कर सरकारी कोष में जमा से मिलान करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में सरकारी कोष में जमा करवाए गई शुल्क की राशियों का मिलान सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा सम्बन्धी विवरण प्राप्त करके नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिस अवधि से सम्बन्धित प्रवेश शुल्क एवं शैक्षणिक फी जमा की गई	**जिस तिथि को जमा करवाई गई**	**रोकड वही (सरकारी) पृष्ठ संख्या**	**चालान संख्या**	**अवधि के दौरान प्राप्त शुल्क**
13.7.13 से 11.7.13	13.7.2012	97	42	4200/- (3800+400)
6.7.13	8.7.2013	116	41	4200/-
5.7.14 से 22.9.14	22.9.2014	137 से 141	1	8200/- (6200+400+800+200+200+400)

11 कम्प्यूट्र्स के क्रय हेतु व्यय गई ₹334425 से सम्बन्धित अनियमितताएं

संस्थान द्वारा दिनांक 26.2.2013 को रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 90 पर 10 डेस्क टॉप कम्प्यूट्र्स का क्रय करने हेतु ₹3,34,425=[₹3,18,500 (31850x10) +15925(3,18,500 का 5% वेट/सेल्स टेक्स)] का व्यय किया गया। अंकेक्षण के दौरान डेस्क टॉप कम्प्यूट्र्स के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) कम्प्यूट्र्स का क्रय दर संविदा (rate contract) के आधार पर B.E. Automation, कोटला नाला, राजगढ, रोड़ सोलन से किया गया था। दर संविदा की शर्तों के अनुसार कम्प्यूट्र्स पर 4% वेट/सेल्स टेक्स का भुगतान देय था, परन्तु विक्रय पर 4% के स्थान पर 5% सेल्स टेक्स/वेट की वसूली की गई थी। इस प्रकार संस्थान द्वारा ₹3185=[₹15925 (3,18,500 का 5%) ₹12740(3,18,500 का 4%] का अधिक अनुचित भुगतान किया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹3185 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) चर्चा के दौरान बताया गया कि संस्थान द्वारा उन्होंने लिनोवों (Lenovo) ब्रांड के 10 कम्प्यूट्र्स का क्रय किया था, परन्तु बिल संख्या 023 दिनांक 14.2.2013 पर यह कहीं भी अंकित

नहीं था कि कम्प्यूट्र्स लिनोवों (Lenovo) ब्रांड के हैं। इसके अतिरिक्त बिल पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कम्प्यूट्र्स लिनोवों (Lenovo) ब्रांड के होने तथा वांछित विशेषताओं के होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जोकि नियमानुसार दिया जाना अनिवार्य था। इन कारणों से कम्प्यूट्र्स लिनोवों (Lenovo) ब्रांड के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 स्टोर/स्टोक के रख–रखाव बारे

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टोक से सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(क) सम्बन्धित रजिस्टर्स में प्रविष्टियां न दर्शाए जाने बारेः– संस्थान द्वारा निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियां सम्बन्धित रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई। यह इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ सम्बन्धित रजिस्टर्स में यह प्रविष्टियां आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाएं।

विवरण	माह	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	राशि
जिला खेलकूद प्रतियोगिता हेतु क्रय की गई वस्तुएं	4/2013	92	12,169

(ख) स्टोर/स्टोक तथा अन्य विभिन्न रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न किए जाने बारे

विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है ताकि संस्थान द्वारा में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सत्यता प्रमाणित की जा सके तथा संस्थान प्रयोग में जाये जा रहे सभी रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः संस्थान के सभी रोकड़ वहियों, स्टोर/स्टोक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज करके तथा उन पर Inventory numbers. लिखकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाए जाने बारे :– हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन(सी0)ए0;(3)5/2005 शिमला–171002 दिनांक 12.8.2009 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रकिया के अनुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके

अभाव से न तो स्टोर/स्टोक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन (disposal) किया जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं तथा मौखिक रूप से संस्थान के अधिकारियों स्टोर/स्टोक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–साथ इस विषय में कृत अपेक्षित कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13 विविध

(क) संस्थान द्वारा कालातीत होने पर जब्त की जा चुकी संस्थागत (institutional) प्रतिभूतियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त कालातीत होने पर जब्त की जा चुकी संस्थागत (institutional) प्रतिभूतियों का विवरण तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(ख) चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि संस्थान द्वारा पहचान पत्र व विभिन्न प्रकार के अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाए जा रहा है तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने हेतु राजकीय मुद्रणालय से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया, जोकि उचित नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से अथवा उनके अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण में निम्न भुगतानों के विरूद्ध पावतियां प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित पावतियां अब प्राप्त करके तथा उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में किए गए भुगतानों के विरूद्ध नियमित रूप से पावतियां प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

विवरण	माह	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	राशि
जिला खेलकूद प्रतियोगिता हेतु श्रीमति सरला देवी तथा श्रीमति गायत्री देवी को किया गया भुगतान।	4/2013	92	12,169

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्षः– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(XI)(14)133/2005-खण्ड–1–62–64 दिनांक 06.01.2016
शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसौली (महिला), जिला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।
3. विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग शिमला–171002.

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.